न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

बैकुंठ पाण्डेय बनाम् दुलारचन्द पाण्डेय

विविध वाद संख्या –196/2020

U/S – 145 Cr. P. C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. बैकुण्ठ पाण्डेय, पिता – स्व0 द्वारिका पाण्डेय,
साकिन – बगड़ोटोला, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. दुलारचंद पाण्डेय, पिता – स्व0 छत्रधारी पाण्डेय,
2. चन्द्रमोली पाण्डेय, पिता – स्व0 छत्रधारी पाण्डेय,
3. प्रकाश पाण्डेय, पिता – स्व0 कामेश्वर पाण्डेय,
4. रेणु देवी, पति – दुलारचंद पाण्डेय,
5. मसोमात शांति देवी, पति – स्व0 कामेश्वर पाण्डेय,
6. सुनील कुमार पाण्डेय, पिता – मुरलीधर पाण्डेय,
7. पवन कुमार पाण्डेय, पिता – मुरलीधर पाण्डेय,

सभी साकिन– बगडोटोला, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

शुरू में Cr.P.C 144 के तहत् इस वाद को प्रारंभ किया गया था, परन्तु बाद में प्रथम पक्ष के आवेदन पर इस वाद को Cr.P.C 145 में परिवर्तित किया गया।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बगड़ो	135	366	1.26 ए0	उ0– चम्पा देवी, द0– अनिल पाण्डेय, पु0– टहल यादव वगै0, प0– सर्वे रास्ता।
		61	35 डी0	उ0– नीज, द0– भूनेश्वर पाण्डेय, पु0– रास्ता, प0– अनिल पाण्डेय।
		218	24 डी0	उ0– भूनेश्वर पाण्डेय, द0– त्रिवेणी पाण्डेय, पु0 + प0– बद्रीनारायण पाण्डेय।
		318	1.22 ए0	उ0– ऋषि पाण्डेय, द0– परती नाला, पु0– परती नाला, प0– सरदार पाण्डेय।
		339	18 डी0	उ0– बैकुण्ठ पाण्डेय, द0– त्रिवेणी पाण्डेय, पु0– अनिल पाण्डेय, प0– नीज टांड।

		341	94 डी0	उ0— बैकुण्ठ पाण्डेय, द0— नन्दकिशोर पाण्डेय, पु0— अनिल पाण्डेय, प0— बैकुण्ठ पाण्डेय।
		347	22 डी0	उ0— सहोदरी देवी, द0— बैकुण्ठ पाण्डेय, पु0+प0— बैकुण्ठ पाण्डेय वगै0।
		348	06 डी0	उ0— अनिल पाण्डेय, द0— बैकुण्ठ पाण्डेय, पु0+प0— बैकुण्ठ पाण्डेय वगै0।
		350	20 डी0	उ0— नीज, द0— बासुदेव पाण्डेय, पु0— बद्री पाण्डेय, प0— बैकुण्ठ पाण्डेय वगै0।
बगड़ो	135	362	37 डी0	उ0— शिवा महतो, द0— आशो पाण्डेय, पु0— छोटु यादव, प0— नीज प्लॉट संख्या — 366।
		376	51 डी0	उ0— भागी पाण्डेय, द0— छोटु यादव, पु0— सीमाना मोदीडीह, प0— टांड नीज।
		399	38 डी0	उ0— चौधरी यादव, द0— खीरो नायक, पु0— नाला, प0— बैकुण्ठ यादव।
	146	368	13 डी0	उ0— बैकुण्ठ पाण्डेय, द0— मनु पाण्डेय, पु0— रास्ता, प0— भागी पाण्डेय वगै0।
	54	401	22 डी0	उ0— सहदेव पाण्डेय, द0— श्रीकांत उपाध्याय, पु0— बद्री पाण्डेय, प0— सहदेव पाण्डेय।
	136	220	08 डी0	उ0— बासुदेव पाण्डेय, द0— प्लॉट संख्या — 399, पु0— नाला, प0— बद्री पाण्डेय।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने—अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 30.07.2024 एवं 17.12.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :—

1. लिखित आवेदन — कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. ऑफलाइन खतियान की छायाप्रति, कुल — 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. नीलम पाण्डेय बनाम् द्वारिका पाण्डेय के केवाला की छायाप्रति, कुल — 05 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. द्वारिका पाण्डेय वगै0 के नाम से ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति— कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**

03

5. वर्ष 1966 में, द्वारिका पाण्डेय वो छत्रधारी पाण्डेय के बीच सर्वे खतियानी जमीन का घरैया बंटवारानामा की छायाप्रति, कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**
6. वर्ष 1966 में, द्वारिका पाण्डेय के वंशजो का घरैया बंटवारानामा की छायाप्रति, कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-6**

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 30.07.2020 को समर्पित लिखित कथन में, संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 01 – यह कि मौजा – बगड़ो, टोला पुरनी बगडो, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह के अंतर्गत प्रथम पक्ष को कुछ प्लॉटों में खतियानी एवं खरीदगी जमीन है, जो प्रथम पक्ष के पूर्वज (पिता) द्वारिका पाण्डेय एवं छत्रधारी पाण्डेय के नाम से हासिल है, जिसका खाता नं0 – 135, 146, 54 एवं 136, प्लॉट नं0 – 366, 61, 218, 318, 339, 341, 347, 348, 350, 362, 376, 399, 368, 401 एवं 220 रकबा क्रमशः 1.26 ए0, 35 डी0, 24 डी0, 1.22 ए0, 18 डी0, 94 डी0, 22 डी0, 06 डी0, 20 डी0, 37 डी0, 51 डी0, 38 डी0, 13 डी0, 22 डी0, 08 डी0 कुल 06. 36 एकड़ है।

आवेदन का प्वांइट नं0 02 – यह कि जब से उक्त भूमि प्रथम पक्ष को हासिल है, तब से राजस्व रसीद निर्गत है और निर्गत होते आ रहा है।

आवेदन का प्वांइट नं0 03 – यह कि उभय पक्ष आपस में गोतिया है तथा हिस्सेदार है। विवादित भूमि दोनों पक्षों की है अस्तु उभय पक्ष अपने – अपने स्तर से जोत आबाद करते आ रहे थे।

आवेदन का प्वांइट नं0 05 – यह कि द्वित्तीय पक्ष के सदस्य बाजबरण प्रथम पक्ष की भूमि हड़पने के ख्याल से दिनांक– 04.07.2020 को प्रथम पक्ष की भूमि पर ट्रेक्टर से हल जोत दिए और धान का फसल लगा रहे है। साथ ही प्रथम पक्ष का मेंड तोड़कर अपने हक – हिस्से में मिला रहे है। बरैय घंघरी लगा रहे है।

द्वित्तीय पक्ष

द्वित्तीय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा, दिनांक– 26.11.2020 तथा 07.09.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा दिनांक – 26.11.2020 – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**
2. दिनांक – 19.03.2016 को उभय पक्ष के बीच हुए आपसी घरैया पंचनामा बंटवारा की छायाप्रति – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. दिनांक – 19.03.2016 को घरैया बंटवारानामा, नापी तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति – कुल 10 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**

4. दिनांक – 26.06.2020 को उभय पक्ष के बीच आपसी पंचायत की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4**

5. लिखित कारण–पृच्छा दिनांक – 07.09.2021 – कुल 07 पृष्ठ, **प्रदर्श B-5**

द्वितीय पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 2 – यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष एक ही वंश के वंशज है। तथा आपस में सहोदर भाई हैं। तथा उभय पक्षों का वंशावली निम्न प्रकार से है।

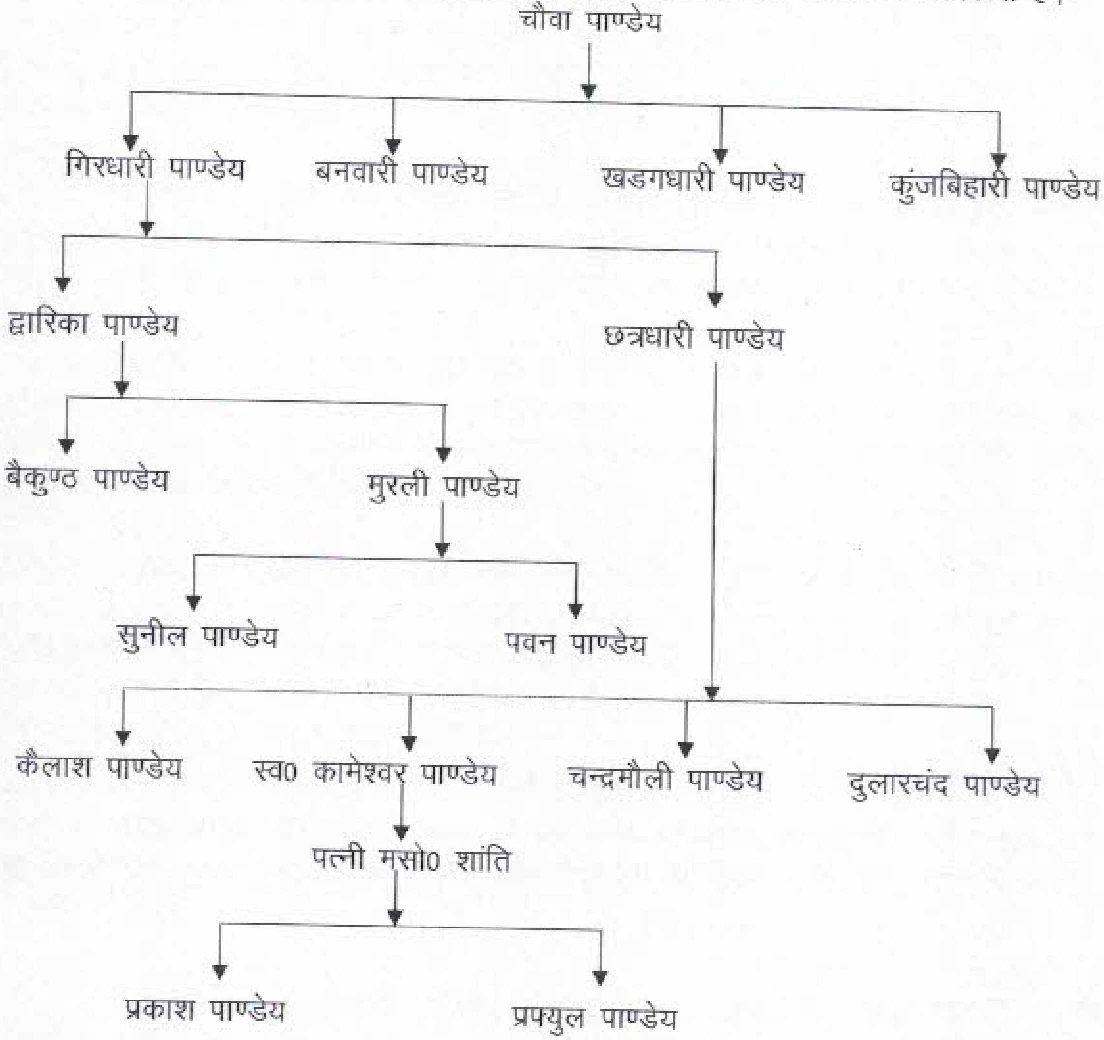

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 3 – यह कि मौजा – बगड़ो, थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह के अंतर्गत हमलोगों के पुस्तैनी मकान है। तथा सभी गोतिया भाई लोग निवास भी करते हैं। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के सबसे बड़े भाई हैं। तथा चल अचल सम्पत्ति के सभी पुख्ता कागजात शुरू से उनके ही हवाले थे, और बजबरन कागजातों को रखे हुवे हैं। मांगने पर टाल–मटोल करते है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 4 – यह कि प्रथम पक्ष बड़े होने का सारा नाजायज फायदा उठाये हैं। उन्होंने पुस्तैनी तथा केवाला रसीद सभी कागजात अपने हवाले रखे है। द्वितीय पक्ष न्यायालय से आग्रह करते है कि पहले न्यायालय में मूल कागजातों को जमा करवाया जाए।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 5 – यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष की सहमति से तथा गाँव के गणमान्य व्यक्तियों और थाना अंचल निरीक्षक के आश्वासन पर घरेलु बंटवारा कर लिया गया है। जिसमें प्रथम पक्ष का भी हस्ताक्षर व सहमति मौजूद है। तथा अन्य सभी हिस्सेदारों ने भी अपना – अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिये है।

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बगड़ो	135	366	1.26 ए0	उ0– चम्पा देवी, द0– अनिल पाण्डेय, पु0– टहल यादव वगै0, प0– सर्वे रास्ता।
		61	35 डी0	उ0– नीज, द0– भूनेश्वर पाण्डेय, पु0– रास्ता, प0– अनिल पाण्डेय।
		218	24 डी0	उ0– भूनेश्वर पाण्डेय, द0– त्रिवेणी पाण्डेय, पु0 + प0– बद्रीनारायण पाण्डेय।
		318	1.22 ए0	उ0– ऋषि पाण्डेय, द0– परती नाला, पु0– परती नाला, प0– सरदार पाण्डेय।
		339	18 डी0	उ0– बैकुण्ठ पाण्डेय, द0– त्रिवेणी पाण्डेय, पु0– अनिल पाण्डेय, प0– नीज टांड।
		341	94 डी0	उ0– बैकुण्ठ पाण्डेय, द0– नन्दकिशोर पाण्डेय, पु0– अनिल पाण्डेय, प0– बैकुण्ठ पाण्डेय।
		347	22 डी0	उ0– सहोदरी देवी, द0– बैकुण्ठ पाण्डेय, पु0+प0– बैकुण्ठ पाण्डेय वगै0।
		348	06 डी0	उ0– अनिल पाण्डेय, द0– बैकुण्ठ पाण्डेय, पु0+प0– बैकुण्ठ पाण्डेय वगै0।
		350	20 डी0	उ0– नीज, द0– बासुदेव पाण्डेय, पु0– बद्री पाण्डेय, प0– बैकुण्ठ पाण्डेय वगै0।
		362	37 डी0	उ0– शिवा महतो, द0– आशो पाण्डेय, पु0– छोटु यादव, प0– नीज प्लॉट संख्या – 366।
		376	51 डी0	उ0– भागी पाण्डेय, द0– छोटु यादव, पु0– सीमाना मोदीडीह, प0– टांड नीज।
		399	38 डी0	उ0– चौधरी यादव, द0– खीरो नायक, पु0– नाला, प0– बैकुण्ठ यादव।
	146	368	13 डी0	उ0– बैकुण्ठ पाण्डेय, द0– मनु पाण्डेय, पु0– रास्ता, प0– भागी पाण्डेय वगै0।
	54	401	22 डी0	उ0– सहदेव पाण्डेय, द0– श्रीकांत उपाध्याय, पु0– बद्री पाण्डेय, प0– सहदेव पाण्डेय।
	136	220	08 डी0	उ0– बासुदेव पाण्डेय, द0– प्लॉट संख्या – 399, पु0– नाला, प0– बद्री पाण्डेय।
कुल रकबा – 6.36 एकड़				

स्पष्ट है कि जमीन का बंटवारा करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, तथा दोनों पक्ष के बीच पूर्व में घरैया बंटवारा हो चुका है, जिसका दस्तावेज रेकड़ में संलग्न है।

अतः यदि आवेदक, प्रथम पक्ष पूर्व के घरैया बंटवारा से सहमत हैं तो अंचल में आवेदन देकर, घरैया बंटवारा के अनुसार मापी कराकर खुंटगड़ी करा सकते है; और यदि प्रथम पक्ष घरैया बंटवारा के अनुसार मापी हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन देते हैं तो अंचल अधिकारी, अंचल की टीम से जमीन का मापी कराकर, खुंटगडी कराना सुनिश्चित करेंगे।

और यदि प्रथम पक्ष पूर्व के घरैया बंटवारा से असहमत हैं तो पुनः बंटवारा के लिये सक्षम न्यायालय में जा सकते है।

इसके साथ ही Cr.P.C 145 की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

02.07.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

02.07.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.07.06 14:58:09 +05:30
Location: 192.168.54.238